मा० उच्च न्यायालय प्रकरण/अतिआवश्यक/महत्वपूर्ण

मुख्यालय

पुलिस

महानिदेशक

उत्तर

प्रदेश

बी०एन०लहरी मार्ग लखनऊ।

संख्या-डीजी-परिपत्र संख्या-05/2015 सेवा मं

दिनांक:लखनऊ:जनवरी 17 .2014

1-समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

2-समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक,उत्तर प्रदेश ।

3-समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद उत्तर प्रदेश।

विषय-किमिनल मिस केस संख्या-4515/2014(बेल एप्लीकेशन) राजेश तिवारी उर्फ लवली तिवारी उर्फ कुलदीप तिवारी बनाम उ०प्र० राज्य के परिप्रेक्ष्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनाँक 15-12-2014 का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त संदर्भित प्रकरण में मा० उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ के संज्ञान में यह तथ्य आया कि मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष भ्रामक सूचना प्रस्तुत की गयी है । मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण को गम्भीरता से लिया गया और अप्रसन्नता ब्यक्त करते हए निम्न आदेश पारित किये गये है:-

- 8. Authorities concerned are required to be conscious of the fact that false affidavit in the Court has interfered with the administration of justice. Under the circumstances, misleading facts given by Sri Ramesh Chandra Pandey, Sub Inspector, cannot be ignored as merely an erroneous act.
- 9. A person in disciplined force is required to state facts after due verification of the same from original record, and not on hearsay. Under the circumstances, Senior Superintendent of Police, Lucknow is required to ensure that a system is put in place that facts are stated before the Court at the earliest, and they are truthful, based on facts.
- 10. It is not the first case of this nature that has travelled to this Court leading in delay in dispensation of justice. Precious time of the Court has been wasted on account of callous and irresponsible attitude of Sri Ramesh Chandra Pandey, Sub Inspector. This Court has been given to understand that enquiry has been ordered in the conduct of Sub Inspector Ramesh Chandra Pandey.
- 11. List this application on 6.1.2015. On that date, this Court be informed about the stage of trial.
- 12. Learned Government Advocate shall also apprise this Court as regards action taken against Sri Ramesh Chandra Pandey, Sub Inspector.

2- मा० उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जाने वाली सूचनाओं में इस प्रकार शिथिलता/लापरवाही किया जाना कदापि उचित नहीं है । अत: आपको निर्देशित किया जाता है कि मा० उच्च न्यायालय/न्यायालयों में जो भी सूचनाएँ प्रस्तुत की जायें वे पूर्णत: सत्य/पुष्ट हों और इस प्रकार भ्रामक सूचनाएँ कदापि प्रस्तुत न की जायें। यदि भविष्य में भ्रामक सूचनाएँ मा० न्यायालयों में प्रस्तुत किये जाने का दृष्टान्त प्रकाश में आता है तो सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी । उन्त निर्देशों का अक्षरश: एवं कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय । संलग्नक-उपरोक्तानसार ।

(अरूण व्युमीर, गुप्ता) पुलिस महानिदेशक,

उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर पुलिस महानिदेशक,राजकीय रेलवे पुलिस उ०प्र० लखनऊ ।
- 2- अपर पुलिस महानिदेशक, सी०बी०सी०आई०डी०, उ०प्र० लखनऊ ।
- 3- अपर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन उ०प्र० लखनऊ ।